भारतीय स्वतन्त्रता, साम्प्रदायिकता एवं अलगाववाद

श्रीमती दीप्ति शर्मा

सहायक प्रवक्ता इतिहास, एस0 एन0 आर0 एल0 जयराम, गर्ल्स कालेज, लोहार माजरा,(कुरुक्षेत्र)

शोध सार

भारत में साम्प्रदायिकता का विकास अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' की नीति का परिणाम थी। इसी नीति के तहत भारत में साम्प्रदायिकता का जन्म हुआ। इसका पहला चरण राष्ट्रवादी साम्प्रदायिकता का, दूसरा चरण उदारवादी साम्प्रदायिकता का एवं तीसरा चरण उग्रवादी साम्प्रदायिकता का था। भारत में भी इन तीन चरणों में साम्प्रदायिकता का विकास हुआ। पहले चरण में ये माना जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोगों के हित भी एक जैसे होते हैं। द्वितीय चरण में यह माना जाता है कि एक धर्म के हित दूसरे धर्म के लोगों से अलग होते हैं और तृतीय चरण में यह माना जाता है कि एक धर्म के हित दूसरे धर्म के हित एक-दूसरे के विरोधी होते हैं। इन्हीं तीन चरणों के तहत भारत में साम्प्रदायिकता का विकास हुआ एवं भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ।

विषय सूचक शब्दः साम्प्रदायिकता, चरमोत्कर्ष, पुनरावृति, वैमनस्य, द्विराष्ट्र, वामपंथी, उदारवादी, उग्रवादी व राष्ट्रवादी

भूमिकाः

भारत में मुस्लिम राज की स्थापना दिल्ली सल्लनत की स्थापना के साथ ही हो गई थी। दिल्ली सल्तनत ने व मुगलों ने कई सदियों तक भारत में राज किया परन्तु भारत में धर्म के नाम पर कभी भी कोई साम्प्रदायिकता दंगे नहीं हुए। भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरम्भ ब्रिटिश राज में हुआ था। क्योंकि भारत में राज करने के लिए ब्रिटिश ने "फूट डालो और राज करो" की नीति आरम्भ की थी। इसी नीति के तहत उन्होंने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को संरक्षण देना आरम्भ कर दिया था। ब्रिटिश राज के उकसाने पर ही भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। परन्तु मुस्लिम साम्प्रदायिकता का विकास भारत में तीन चरणों में हुआ था। इन तीन चरणों के तहत साम्प्रदायिक उदारवादी से साम्प्रदायिक उग्रवाद साम्प्रदायिकता में तबदील हो गई थी। भारत में साम्प्रदायिकता का विकास एवं इसका उग्र साम्प्रदायिकता में तबदील होने में कुछ भडकाऊ नेता एवं ब्रिटिश राज की सोची समझी साजिश थी। इस साजिश के तहत भारत में अल्प संख्यक मुस्लमानों को हिन्दू राज का डर दिखाकर मुस्लिम लीग के झंडे तले इक्कठा होने का षड़यन्त्र किया था। अंत में लीग एवं ब्रिटिश इस साजिश में कामयाब हुए। लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग रख दी। एवं पूरे देश में साम्प्रदायिक दंगे फैला दिए। इन्हीं दंगों का परिणाम था 1947 में भारत की आजादी एवं विभाजन।

भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना 1600ई0 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नाम से हुई। जिस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना हुई उस समय भारत में मुगलों का राज था। उस समय मुगल अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर थे परन्तु धीरे-धीरे औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश पतन की ओर जाने लगा वैसे-वैसे भारत से केन्द्रिय शक्ति का नियन्त्रण ढीला पड़ने लगा और अंग्रेजी साम्राज्य ने अपनी जड़े जमानी शुरू कर दी। सर्वप्रथम 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के उपरान्त अपने आप को राजनैतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। इसके उपरान्त धीरे-धीरे 1857 आते-आते अंग्रेजों ने अपने आप को भारत की सर्वोच्च राजनैतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया एवं पूरे भारत को एकछत्र एक राजनैतिक केन्द्रिय सत्ता के अन्तर्गत नियन्त्रित कर लिया। भले ही अंग्रेजों ने राजनैतिक रूप से भारत को अपने नियन्त्रण में ले लिया था परन्तु उन्होंने कभी भी भारत को वास्तविक रूप में नहीं अपनाया था। भारत में उन्होंने अपनी औपनिवेशिक सत्ता स्थापित की थी एवं भारत को अपना गुलाम बना लिया। इसके बाद उन्होंने भारत का हर प्रकार (राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक) से शोषण किया। उनके इस शोषण का परिणाम था 1857 की महान क्रान्ति। इस क्रान्ति में भारत के हर धर्म, वर्ग न जाति ने हिस्सा लेकर यह साबित कर दिया कि ब्रिटिश को भारतीयों ने मन से स्वीकार नहीं किया है। 1857 की क्रान्ति में ना केवल भारतीयों की आंखें खोली अपितु ब्रिटिश राज की आंखें भी खोल दी। उन्होंने इस बात को माना कि इस प्रकार की क्रान्ति की पुनरावृत्ति बर्दाश्त नहीं कर सकते। अतः अब उन्होंने भी भारत में सत्ता चलाने की नीति का पुनरावलोकन करना होगा। अतः 1857 की क्रान्ति के बाद अंग्रेजों ने भारत में तलवार की नीति छोड़कर **फूट डालो और राज करो** की नीति अपनाई। उनकी नीति भारत में कारगर रही क्योंकि भारत भाषा, जाति, धर्म एवं विभिन्न प्रदेशों में बंटा देश है। यहां कई तरह के धर्म, जातियां, भाषाएं एवं विभिन्न प्रकार की विविधताएं विद्यमान है। अतः भारत को धर्म, जाति एवं भाषा के आधार पर बड़ा ही आसान था और यही नीति उन्होंने आने वाले समय पर अपनाई और भारत को विभाजित कर दिया। डॉ. विपिन चन्द्र का इस विषय में मानना है कि "साम्प्रदायिक विचारधारा का यह विश्वास है कि भारत जैसे बहुयामी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक हित अन्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के सांसरिक हितों से भिन्न है।" परन्तु प्रश्न यह उठता है कि जब एक परिवार,

समाज में भिन्न हितों वाले व्यक्ति साथ रह सकते है तो अलग धर्म के व्यक्ति अलग सांसारिक हितों के बावजूद इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते।

ब्रिटिश सरकार ने जान-बूझकर भारत में धर्म के आधार पर खाई पैदा की ताकि वे सुगमता से भारत में स्थाई रूप से राज कर सके। इसी नीति के तहत भारत में हिन्दू और मुसलमान के बीच मतभेद एवं वैमनस्य पैदा किया गया और भारत में साम्प्रदायिकता की शुरूआत की। डॉ. विपिन चन्द्र इस साम्प्रदायिकता को परिभाषित करते हुए कहते है कि साम्प्रदायिकता के तीन चरण है- पहला चरण है राष्ट्रवादी साम्प्रदायिकता का, जिसमें यह माना जाता है कि एक धर्म को मानने वालों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हित एक जैसे होते है। साम्प्रदायिक विचारधारा के उदय का यह पहला आधार है। इसी धारणा से धर्म पर आधारित सामाजिक-राजनीतिक समुदायों का जन्म होता है। वर्गीय-जातीय समूहों, भाषाई- सांस्कृतिक जमायतों, राष्ट्रों या प्रान्तों और राज्यों जैसी राजनीतिक-क्षेत्रीय इकाइयों के स्थान पर धर्म पर आधारित इन समुदायों को ही भारतीय समाज की बुनियादी इकाइयों के रूप में देखा जाने लगता है। ऐसा मान लिया जाता है कि राष्ट्रीय जनता धर्म पर आधारित इन समुदायों के सदस्यों के रूप में ही अपने सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का संचालन कर सकती है तथा अपने सामूहिक हितों की रक्षा कर सकती है। इन विभिन्न समुदायों के अपने अलग-अलग नेता होते है, जो अपने आप को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या किसी खास वर्ग का नेता बताते है।

साम्प्रदायिक विचारधारा का दूसरा तत्व, ये विश्वास है कि भारत जैसे बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हित अन्य धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हितों से भिन्न है।

साम्प्रदायिकता अपने तीसरे चरण में तब प्रवेश करती है जब यह मान लिया जाता है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों या समुदायों के हित एक-दूसरे के विरोधी है। इस चरण में साम्प्रदायिक व्यक्ति जोर देकर यह कहने लगता है कि हिंदुओं और मुसलमानों के सांसारिक हित एक हो ही नहीं सकते, उनमें परस्पर विरोध होना ही है।

भारत में भी साम्प्रदायिकता तीन चरणों में बांट कर देखी जाता है। 1906 में जब भारत में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ तो इसका ये मानना था कि भले ही हिन्दू मुस्लिम दो अलग वर्ग है फिर भी इनके राजनैतिक हितों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। समग्र भारत का विकास दोनों धर्मो के विकास से ही सम्भव है। इस विचारधारा को तब बल ज्यादा मिला जब लोग मे जिन्नाह जैसे राष्ट्रवादी नेता का प्रवेश हुआ। आरम्भ में जिन्नाह राष्ट्रवादी विचारधारा के थे और उनका मानना था कि हिन्दू मुस्लिम एक ही सिक्के दो पहलू है और दोनों के विकास से ही देश का विकास सम्भव है। इसीलिए वो राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रेरक थे। उन्हीं के प्रयत्नों से 1916 में लीग और कांग्रेस का समझौता सम्भव हो पाया था और उन्हीं के प्रयासों में 1920 में असहयोग आन्दोलन हिन्दू मुसलमानों में बढ़चढ़कर भाग लिया परन्तु ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और 1922 में जब असहयोग आन्दोलन को महात्मा गांधी ने अकस्मात् वापिस लिया तो लीग और कांग्रेस एक बार पुनः अलगाव के रास्ते पर चल पड़ी परन्तु फिर भी लीग विभाजन के पक्षधर नहीं थे। लीग का मानना था कि हिन्दुओं और मुसलमानों के हित अलग है। फिर भी दोनों साथ मिलकर ही विकास कर सकते है। ये समय दूसरे चरण की साम्प्रदायिकता का था। इस बात का उदाहरण हमें 1933 में मिलता है जब जिन्नाह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाते है। वहां पर रहमत अली के नेतृत्व में छात्रों का एक संगठन जिन्नाह से मिलता है एवं उन्हें **द्विराष्ट्र का सिद्धान्त** से अवगत कराते है। इस सिद्धान्त में पहली बार धर्म के आधार पर अलग राष्ट्रवादी पाकिस्तान की मांग की जाती है। परन्तु जिन्नाह इसे असंगत कहकर सिरे से खारिज कर देते है।

साम्प्रदायिकता का दूसरा दौर यानी नरमपंथी दौर 1937 तक जारी रहा। उसके बाद मुस्लिम लीग तेजी से उग्रवादी या फाँसीवादी तौर तरीके अपनाने लगी। नरम पंथी साम्प्रदायिकता में उग्रवादी साम्प्रदायिकता में बदलने के कई कारण थे। इसका सबसे बड़ा कारण था 1930-34 में चले सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान राष्ट्रवाद का विकास होना एवं राष्ट्रवाद के विकास के कारण ही 1937 के होने वाले चुनावों में कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी के रूप में उभरी। मुस्लिम लीग समेत बड़ी-बड़ी राजनैतिक पार्टियों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही देश में वामपंथी विचारधारा का विकास भी तेजी से हो रहा था। देश के मजदूर एवं किसान वामपंथी विचारधारा से आकर्षित हो रहे थे। ऐसी स्थिति जमींदारों एवं बुद्धिजीवी वर्ग के वर्चस्व वाली मुस्लिम लीग के पास केवल दो ही विकल्प बचे थे या तो वे अपने आप को समाप्त कर दे या फिर अपने वर्ग के स्वार्थ के लिए उग्र साम्प्रदायिकता की ओर मुड़े। अतः लीग ने पहले विकल्प की बजाय दूसरे विकल्प को चुनना ज्यादा बेहतर समझा। दूसरी ओर 1937 के चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उपनिवेशवाद के सभी सामाजिक एवं राजनैतिक आधार ध्वस्त हो चुके है। अतः औपनिवेशिक ताकतों के हाथ में एक ही विकल्प था- साम्प्रदायिकता एवं उन्होंने सब कुछ इस दांव पर लगा दिया। उनकी सम्पूर्ण राज्य शक्ति मुस्लिम साम्प्रदायिकता का साथ देने लगी।

द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने के बाद ब्रिटिश सरकार और अधिक मुस्लिम साम्प्रदायिकता का साथ देने लगी। युद्ध में साथ देने के बदले पूर्ण स्वाधीनता की मांग एवं मांग पूरी ना होने पर कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तिफा देने से ब्रिटिश सरकार ओर भी अधिक लीग के करीब आ गई और लीग को भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता मान लिया। उन्हें ये

अधिकार दे दिया गया कि वे किसी भी राजनीतिक समझौते के खिलाफ अपना 'वीटो' का प्रयोग कर सकती है। इस प्रकार लीग ने उग्र साम्प्रदायिक राजनीति का कार्ड खेलते हुए 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित कर दिया। मार्च 1941 में अलीगढ़ में उन्होंने सम्बोधित किया कि, "पाकिस्तान ना केवल हासिल किया जा सकता है, बल्कि अगर आप इस देश में इस्लाम को पूरी तरह खत्म होने से रोकना चाहते है, तो एकमात्र मकसद यही हो सकता है।" 1946 में जिन्नाह मुसलमानों को लीग को वोट देने की अपील करते हुए कहते है कि, "अगर हम आज अपना फर्ज अदा नहीं करते, तो आपकी हालत शूद्रो जैसी कर दी जाएगी और भारत से इस्लाम की विदाई हो जाएगी।" वही जिन्नाह पाकिस्तान की मांग को जोर देते हुए ये नारा देते है कि "लड़कर लेगे पाकिस्तान, बंट कर रहेगा हिन्दुस्तान।" उनके इस नारे से कलकता में कत्लेआम होता है। इस प्रकार से लीग पाकिस्तान की मांग को जिहाद का नारा देती है और पूरे भारत में कत्लेआम शुरू हो जाता है। इस बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता के माहौल में ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ने की घोषणा कर देती है। इस घोषणा के बाद भारत का बंटवारा निश्चित हो जाता है। एक बार फिर से लीग बंटवारे के नाम पर जंग का एलान करती है और पूरे भारत में कत्लेआम शुरू हो जाता है। इस बार स्थिति सोच से भी ज्यादा भयावह थी और भारत जहां सदियों से हिन्दू मुस्लिम इकट्ठे रह रहे थे। वहीं आज एक दूसरे के लहू के प्यासे होकर एक दूसरे की जान लेने को उतारू थे। इस प्रकार से हम देखते है कि मुस्लिम साम्प्रदायिकता किस प्रकार से नरमपंथी दोर से चरमपंथी दौर में प्रवेश करके भारत में विभक्त घृणा एवं डर का माहौल पैदा करती है। लीग की यही विभाजनकारी मानसिकता भारत के विभाजन का कारण बनती है।

निष्कर्षः इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में साम्प्रदायिकता का विकास अंग्रेजों की सोची-समझी साजिश का परिणाम था। उन्होंने भारत में लम्बे समय तक टिके रहने के लिए भारत को धार्मिक आधार पर हिन्दू-मुस्लिम में बांट दिया और स्वयं भारत में लम्बे समय तक राज किया। अन्त में उनकी इसी नीति के परिणामस्वरूप भारत में साम्प्रदायिक दंगे हुए एवं भारत का विभाजन हुआ।

सहायक सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Ali Mohamad - Muslim, The Real History – Rupa Publication
2. Ahluwalia B.K. - Muslim and India Freedom movement - Generic 1987
3. शान्तिमय रे-आजादी का आन्दोलन और भारतीय मुसलमान - National Book Trust India
4. Anand Arun - The Forgotten History, History of India – Prabhat Prakashan
5. Chandra Bipin - Indian Struggle for Independence – Penguin Random House India
6. Habib Irfan - The National Movement – Tulika Books, Edition 25 June 2020
7. Jayapalan N. - History of India – Atlantic Publisher and Distri 2001
8. Sujata - History of Modern India – G.K. Publication
9. सरकार सुमित- आज का भारत - के.पी. बागची एंड कम्पनी
10. Qurashi Humara - The Indian Muslim – Aakar Books : First Edition (01 January 2021)